



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122021-232039
CG-DL-E-21122021-232039

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4870]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943

No. 4870]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

का.आ.5251(अ).— प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2185 (अ), तारीख 7 जून, 2021, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख तारीख 8 जून, 2021, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था;

और, जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के चित्रादुर्गा तालुक, चित्रादुर्गा जिले में स्थित है और 13° 34' 01.5" उ अक्षांश और 76° 17' पू देशांतर के बीच स्थित है। इस अभयारण्य के दो खंड अर्थात् जोगीमत्ती खंड और कीनेडलू खंड हैं। यह क्षेत्र पहले महामहिम महाराजा मैसूर की सरकार द्वारा मैसूर वन अधिनियम (1900 का XI) की धारा 17 के अधीन अधिसूचना ए.एफ.144-एफटी-142-38-8 तारीख 8 जुलाई, 1940 द्वारा जोगीमत्ती राज्य वन के रूप में गठित किया गया था, जिसका विस्तार 38.8 वर्ग मील और 10048.97 हेक्टेयर या 100.48 वर्ग किलोमीटर था। अब इस वन को वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचना सं.एफईई 77 एफडब्ल्यूएच 2015 बैंगलूरु तारीख 23 दिसंबर, 2015 द्वारा जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया;

और, जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य के वनों में लुप्तप्राय तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), रीछ (मेलर्सस अरसिनस), मयूर (पावो क्रिस्टेटस) की कुछ जंगली आबादी जीवित है, जो क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं और विभिन्न प्रकार के बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। इसलिए ऐसी प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के अधीन उन्हें उच्चतम सुरक्षा प्रदान की गई है;

और, जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य वनस्पति में एकाकिया लतरोनुम (होट्टेजाली), एकाकिया ल्यूकोफोइया (बिली जेल), एकाकिया पेन्नाटा (काडु सेगे), अलबिजिया प्रोसेरा (बेलटी, सफेद सिरीस), अब्रस प्रेटोरियस (गुलगांजी), एलो वेरा (लोलेसरा), बौहिनिया पुरुरेया (डोड्डाबासावानपाडा), बुटेया मोनोस्पर्म (मुट्टुगा), कैसिया औरिकुलाटा (थंगाडी), करिस्सा करांडस (कवाले), (चेल्ले), डालबर्गिया लैटफोलिया (रोसेवुड, बीटे), डेंड्रोकलमस स्ट्रिक्टस (मारे बम्बू), यूफोरबिया निवुलिया (कल्ली), एरीथ्रोक्सिलों मोनोगीनुम (देवद्री, ददयारी), फिकस गलोमेराटा (अट्टी), ग्रेविया टिलियाफोलिया (तडासालु, जने), जिम्नोस्पोरिया मोन्टाना (थोंडरसी, दंती), हार्डविकिया बिनाटा (कामारा, अंजियान), लैटाना कैमारा (लांटाना), मोरिंडा टिनक्टरिया (फादु कुम्बाला), मेलिया अज़ादिराच (अरेबेवु, हचबेवु), नेरियम अडोरम (कानागला), पोंगामिया पिनाटा (होंगे, कानिगे), प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा (बेल्लारी जेल), सेमेकार्पस एनाकार्डियम (गेरू, मार्किंग नट), स्टीरियोस्पर्मम चेलोनोइड्स (उडेड), टर्मिनलिया टोमेंटोसा (करीमट्टी), टेरामेलेस नुडिफ्लोरा (कदबेंदे), जिजिफस जपैरुस (गोट्टे), आदि पाए जाते हैं;

और, जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य के अभिलिखित महत्वपूर्ण औषधीय पौधे एकालयफा इंडिका, एकाकिया निलोटीका, एलबिजिया लेब्बेक, एमारांथस, अस्पारागुस राकेमोसस, बम्बुसा ओरंडिनाकिया, केसिया फिस्तुला, धतूरा इन्नोक्विया, डोडानिया विस्कोसा, एरिथ्रिना इंडिका, ल्यूकस एस्पेरा, मिमोसा पोउडिका, मिराबिलिस जालापा, मुररिया कोइनिगी, पांडानुस फस्किकुलारिस, पलुमारिया अकुमिनाटा, पसिडियम गुअजावा, क्रिसकालिस इंडिका, सारकोस्टेम्मा अकिदुम (रोक्व.), सोलानम निगरूम, आदि हैं;

और, जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य जीवजंतु में काला हिरण (एंटीलोपे केरविकापरा), सामान्य लंगूर (प्रेस्विटिस इंटेल्सुस), सामान्य लोमड़ी (बुल्फेस बेंगालेंसिस), फ्रूट बैट (चिरोपटेरा), चित्तीदार लकड़बग्घा (हाइना हाइना), भारतीय खरगोश (लेपस निग्रिकोलिस), भारतीय साही (हिस्ट्रीक्स इंडिका), भारतीय भेड़िया (कैनिस ल्यूपस पल्लीपीज़), सियार (कैनिस ऑरियस), जंगली बिल्ली (फेलिस चौस), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), रीछ (मेलर्सस अरसिनस), चित्तीदार लकड़बग्घा (हैना हैना), बनैला सूअर (सस स्क्रोफा), ऐश ब्रेन वार्बलर (प्रिनिया सोथलिस), ब्लैक विंगड काइट (इलानुस कैरुलस), ब्लू पिजन (कोलुम्बा लिबिया), ब्लैक हेडेड ओरिओल (ओरिओलस ज़ैथॉर्नस), कौवा तीतर (सेंट्रोपस साइनेंसिस), सामान्य मैना (एक्रिडोथेरेस ट्रिस्टिस), कैटल एग्रेट (बैबुलस इबिस), सामान्य किंगफिशर (एल्सेडो ए ग्रे वैगटेल (मोटोसिला कैस्पिका), ग्रेट होर्नेड उल्लू (बुबो बुबो), गोल्डन बैकड वुड पेकर (डिनोपियम बेंगालेंसिस), भारतीय रोबिन (सैक्सिकलोईड्स फुलिकटा), जंगल मैना (एक्रिडोथेरेस फ्यूसेन्स), कोयल (यूडायनेमिस स्कोलोपेसिया), मुनिया (लॉचुरा स्पा.), परिअह काइट (मिलनस माइग्रेंस), लाल कछुआ कबूतर (स्टेरेप्टोपेलिया स्पा), व्हिस्टलिंग थ्रश (मायिओफोनेउस होरसफिल्डी), गिरगिट (चमेलैओन कैलकेरेटस), क्रेट (बैंगरस सेरुलेस), अजगर (पायथोनिडेया), आदि पाए जाते हैं और, जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य के चित्रादुर्गा जिला के जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 575 मीटर से 1.00 किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 575 मीटर से 1.00 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 95.53 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख और उपाबंध-IIग** के रूप में संलग्न है।

(4) जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और **सारणी ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

(6) जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सर्वेक्षण संख्या वार विवरण **उपाबंध-V** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यांकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिह्नित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 में दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने

के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे। (3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) नैसर्गिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूर्ण और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) बहिस्त्राव का निस्सारण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय यातायात.- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(15) यानीय प्रदूषण.- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन संरक्षण (अधिनियम, 1980) 1980 का (69), भारतीय वन अधिनियम, 1927) 1927 का (16, वन्यजीव) संरक्षण (अधिनियम 1972) 1972 का (53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	नए की स्थापना या विद्यमान बृहत लघु या छोटे जल विद्युत परियोजना का विस्तार।	प्रतिषिद्ध।
4.	पर्यटन से संबंधित जैसे गर्म वायु गुब्बारों, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे अन्य क्रियाकलाप करना।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।
6.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	भूमिगत पाइपलाइनों का रेलवे, रोपवे।	प्रतिषिद्ध।

10.	पाइपलाइनें और कैनल।	प्रतिषिद्ध।
11.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
12.	11ए बिजली के बाड़।	प्रतिषिद्ध।
13.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
आ. विनियमित क्रियाकलाप		
14.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा; परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
15.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी; परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में वर्णित क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उप-विधियों के अनुसार दी जाएगी। विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) अवसंरचना और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप: परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
16.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।

17.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
18.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य अवसंरचनाएँ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
20.	कंपनियों या फर्मों या कॉरपोरेट घरानों द्वारा वाणिज्यिक होटलों या रिसोर्ट और वाणिज्यिक कृषि और बागवानी उद्यमों के परिसर में बाड़ लगाना।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
22.	ग्राम सड़कों का रखरखाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
24.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	निर्वाह उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
27.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	वाहन द्वारा वायु प्रदूषण।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
30.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
31.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलायी जा रही कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
33.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
34.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
35.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

	कुआ ,आदि ।	
36.	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	लागू विधियों ,नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
37.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस ,सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
45.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
46.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
47.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति - केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का गठन	पदनाम
1.	क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु	अध्यक्ष, पदेन;
2.	उप-आयुक्त, चित्रादुर्गा जिला	सदस्य, पदेन;
3.	पुलिस अधीक्षक-चित्रादुर्गा जिला	सदस्य, पदेन;
4.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
5.	पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
6.	लघु सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
7.	कर्नाटक राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;

8.	कर्नाटक राज्य वन विभाग द्वारा नामित प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य;
9.	वन्यजीव वार्डन- कोई अन्य विशेषज्ञ	सदस्य;
10.	उप वन संरक्षक, प्रादेशिक प्रभाग, चित्रादुर्गा	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश-निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-VI में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधधीन होंगे।

[फा.सं. 25/11/2020-ईएसजेड]

डॉ .सतीश चन्द्र गढकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-1

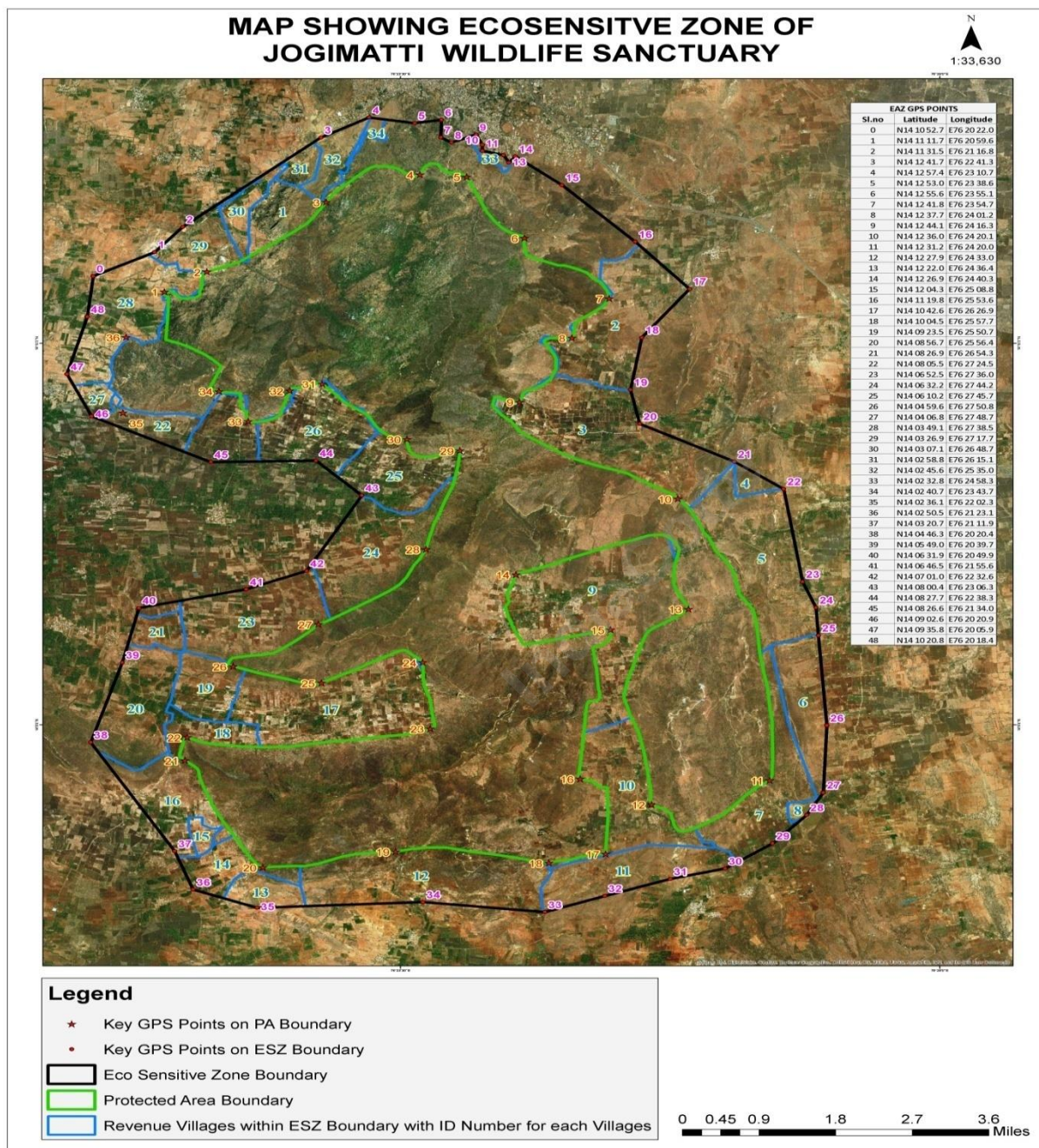
कर्नाटक राज्य में जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर:	चित्रादुर्गा (टी क्यू) के जनूकोंदा के सर्वे सं.49 की दक्षिण-पश्चिम सीमा से आरंभ होकर, रेखा जगदलीपुरा चित्रादुर्गा (टी क्यू) के सर्वे सं.8 के दक्षिण-पश्चिम कोने में बिंदु से मिलने के लिए, होललकेरे-चित्रादुर्गा सड़क के साथ लगभग 1300 मीटर उत्तर-पूर्व की ओर होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा जगलीपुरा के सर्वे सं.11 में बिंदु से मिलने के लिए, होललकेरे-चित्रादुर्गा सड़क के साथ लगभग 800 मीटर उत्तर-पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद रेखा कीराबानाकल्लू के सर्वे सं.10 के उत्तर-पूर्व कोने में बिंदु से मिलने के लिए, जगदलीपुरा के सर्वे सं.11,32 और 1 से होते हुए और चित्रादुर्गा (टी क्यू) के अट्टीकट्टे ग्राम के सर्वे सं. 15, 9,8,7,6 और 3 और कोराबानाकल्लू के सर्वे सं 13,11 और 10 और लगभग 3300 मीटर उत्तर-पूर्व की ओर जाती है। रेखा उसी (टी क्यू) के निरालागुंदी ग्राम के सर्वे सं.1 के पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, चित्रादुर्गा (टी क्यू) के हुलीगुंदी ग्राम के सर्वे सं.1,6,10 से होते हुए लगभग 1000 मीटर उत्तर-पूर्व जाती है। इसके बाद रेखा चित्रादुर्गा के सर्वे सं.37 के उत्तर-पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, लगभग 848 मीटर निरालागुंदी और चित्रादुर्गा किले के सर्वे सं.1 से होते हुए दक्षिण -पूर्व जाती है। इसके बाद रेखा किले की सीमा से मिलकर लगभग 810 द्वारा लगभग 500 मीटर उत्तर-पूर्व की ओर जाती है, इसके बाद रेखा चित्रादुर्गा के सर्वे सं.12 के उत्तर कोने के बिंदु से मिलने के लिए, किले की सीमा के साथ लगभग 428 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। इसके बाद रेखा चित्रादुर्गा के सर्वे सं.73 के उत्तर-पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, लगभग 232 मीटर दक्षिण पूर्व ओर जाती है। इसके बाद रेखा चित्रादुर्गा के सर्वे सं.13 के उत्तर कोने के बिंदु से मिलने के लिए, लगभग 493 मीटर की उत्तरी सीमा के साथ उत्तर पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद रेखा चित्रादुर्गा के सर्वे सं.54 के पश्चिमी कोने के बिंदु से मिलने के लिए, चित्रादुर्गा और केलागोटे ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ लगभग 1350 मीटर जाती है। इसके बाद रेखा चित्रादुर्गा (टीक्यू) के इंगालादालू ग्राम के सर्वे सं.32 के उत्तर -पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, चित्रादुर्गा के सर्वे सं.33 से होते हुए लगभग 3050 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद रेखा इंगालादालू के सर्वे सं.14 के दक्षिण पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, इंगालादालू ग्राम के सर्वे सं 32, 33,15 और 26 से होते हुए लगभग 1500 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर जाती है।
पूर्व:	इसके बाद रेखा इंगालादालू ग्राम के सर्वे सं.62 के उत्तर पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, चित्रादुर्गा (टीक्यू) इंगालादालू ग्राम के सर्वे सं. 63, 18 एवं 19 से होते हुए लगभग 1500 मीटर दक्षिण- पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा चित्रादुर्गा (टीक्यू) के कुरुमारादीकेरे ग्राम के सर्वे सं.1 के उत्तर-पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, उपर्युक्त ग्राम के सर्वे सं. 58,90,59,61 और 62 से होते हुए लगभग 1300 मीटर दक्षिण-पश्चिम की ओर जाती है। रेखा उसी उपर्युक्त ग्राम के सर्वे सं.27 के दक्षिण-पूर्व के बिंदु से मिलने के लिए, चित्रादुर्गा (टीक्यू) के कुरुमारादीकेरे ग्राम के सर्वे सं. 1,57,66 और 65 से होते हुए लगभग 846 मीटर कुछ दक्षिण-पूर्व की ओर जाती है। रेखा कुरुमारादीकेरे ग्राम के सर्वे सं.46 के पूर्व कोने के बिंदु से मिलने के लिए, कुरुमारादीकेरे के सर्वे सं.16,87,14,86,93 ,91 और 46 से होते हुए लगभग 2000 मीटर दक्षिण-पूर्व की ओर जाती है। रेखा एमंगला हुबली हीरीयूर के चिक्कासीद्वावानाहल्ली ग्राम के सर्वे सं. 144 के उत्तर-पश्चिम के बिंदु से मिलने के लिए, इमंगला होबली हीरीयूर (टीक्यू) के पालावानाहल्ली ग्राम के सर्वे सं.131,132 और 133 से होते हुए लगभग 1100 मीटर दक्षिण- पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद रेखा उसी उपर्युक्त ग्राम के सर्वे सं.55 के दक्षिण-पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, चिक्कासीद्वावानाहल्ली ग्राम के सर्वे सं 83, 82, 86,

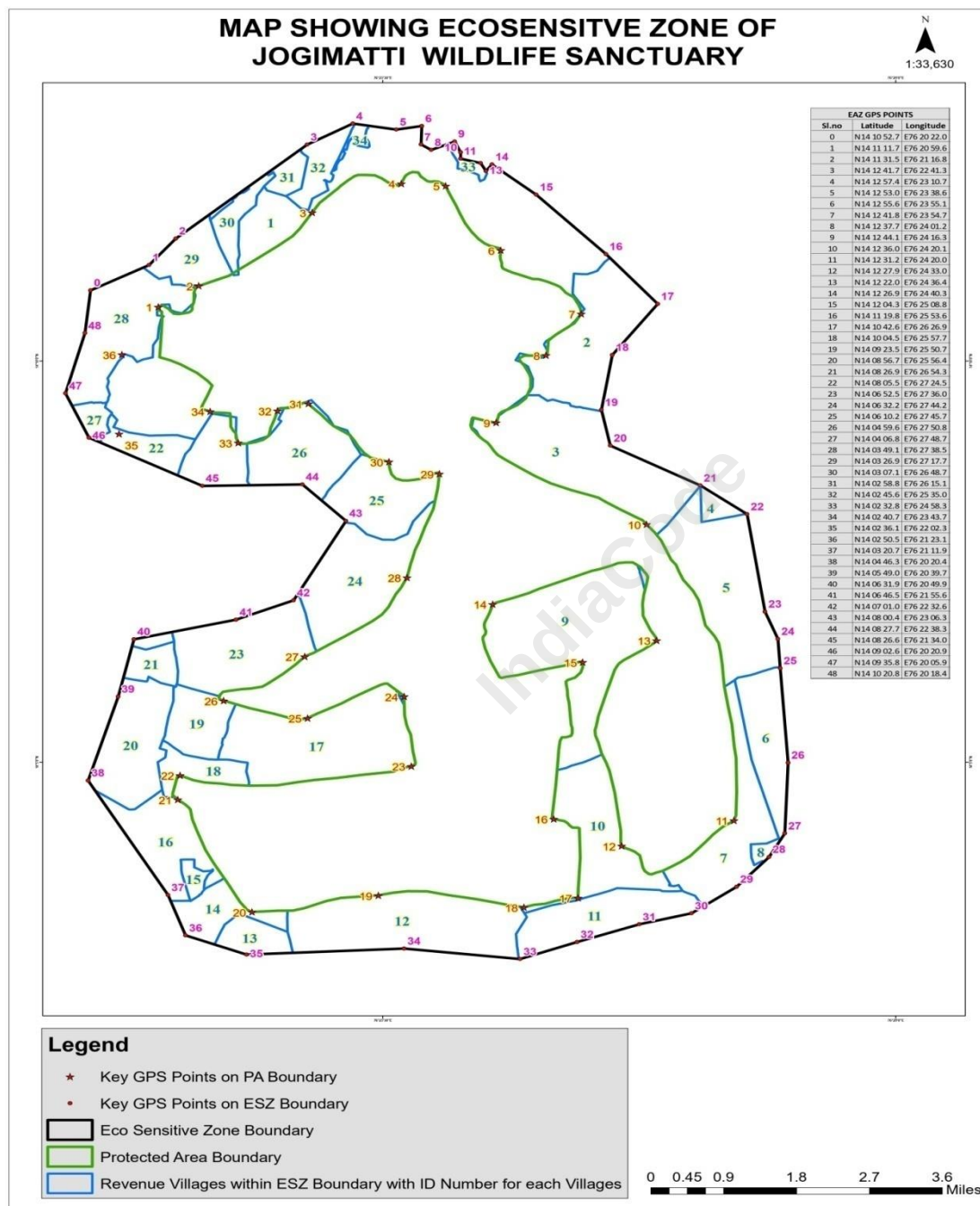
	138,139 एवं 143 और 155 से होते हुए और सर्वे सं 84,143 की पूर्वी सीमा लगभग 2300 मीटर दक्षिण-पूर्व की ओर जाती है। रेखा उसी उपर्युक्त ग्राम के सर्वे सं.40 के दक्षिण पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, चिक्कासीदावानाहल्ली ग्राम के सर्वे सं.56,48 एवं 47 से होते हुए लगभग 676 मीटर दक्षिण-पूर्व जाती है। इसके बाद रेखा उसी उपर्युक्त ग्राम के सर्वे सं.41 के दक्षिण-पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, चिक्कासीदावानाहल्ली ग्राम के सर्वे सं.40 एवं 41 की पश्चिमी सीमा के लगभग 682 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। रेखा सर्वे सं 115, 114, 49, 48 से होते हुए लगभग 3800 मीटर दक्षिण की ओर जाती है और इमंगला होगली, हीरीयूर (टीक्यू) के बरमपुरा ग्राम के सर्वे सं.47 के उत्तर पश्चिम कोने में पहुंचती है और पुनः उसी ग्राम के सर्वेक्षण सं.44 जाती है और इमंगला होबली, हीरीयूर (टीक्यू) के यालाकुरानाहल्ली ग्राम के सर्वे सं.21 के उत्तर-पूर्व कोने में पहुंचती है।
दक्षिण :	इसके बाद रेखा यालाकुरनहल्ली ग्राम के सर्वे सं.4 (टैंक) के उत्तर-पूर्व कोने के बिंदु से मिलने के लिए, कुम्बराघाटा ग्राम के सर्वे सं.1 से होते हुए लगभग 625 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं.17 के दक्षिण-पश्चिम के बिंदु से मिलने के लिए, यालाकुरनहल्ली ग्राम के सर्वे सं.3,5 और 17 से होते हुए लगभग 929 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। रेखा उसी उपर्युक्त ग्राम और (टीक्यू) के दक्षिण-पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, यालाकुरनहल्ली ग्राम के सर्वे सं.7,8 और 9 से होते हुए और तलया होबली होललकेरे (टीक्यू) के कोलल ग्राम के सर्वे सं.25 से होते हुए लगभग 1100 मीटर दक्षिण-पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा कोलल ग्राम के सर्वे सं.152 के दक्षिण-पूर्व के बिंदु से मिलने के लिए, कोलल ग्राम के सर्वे सं .13,18,16,19 एवं 113 से होते हुए लगभग 1000 मीटर दक्षिण-पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा तलया होबली होललकेरे (टीक्यू) के थेकालावत्ती ग्राम के दक्षिण-पूर्व कोने के बिंदु से मिलने के लिए, कोलल ग्राम के सर्वे सं 115,116,113, और 112 से होते हुए लगभग 2300 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा थेकालावत्ती ग्राम के सर्वे सं.79 के उत्तर कोने के बिंदु से मिलने के लिए, थेकालावत्ती ग्राम के सर्वे सं 62,60 और 80 से होते हुए सर्वे सं.131 की दक्षिणी सीमा लगभग 2300 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा उसी उपर्युक्त ग्राम के सर्वे सं.33 के दक्षिण पूर्व कोने के बिंदु से मिलने के लिए थेकालावत्ती ग्राम के सर्वे सं 84,87,43,50,51,49,57 और 58 से होते हुए और तलया होबली होललकेरे के संगेनाहल्ली ग्राम के सर्वे सं.16 से होते हुए लगभग 3000 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। रेखा उपर्युक्त आखिरी सर्वे सं.29 के उत्तर- पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, तलया होबली होललकेरे (टीक्यू) के कनेवेहल्ली ग्राम के सर्वे सं.1 से होते हुए और संगेनाहल्ली ग्राम के सर्वे सं. 33,32,15,31,30 और 29 से होते हुए लगभग 1300 मीटर उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है।
पश्चिम:	इसके बाद रेखा उपर्युक्त सर्वे सं. के उत्तर पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, कानीवेनहल्ली ग्राम के सर्वे सं. 2, 3 और 4 की पश्चिम सीमा की तरफ लगभग 993 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा कसवानाहल्ली ग्राम के सर्वे सं. 23 के दक्षिण पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, कसवानाहल्ली ग्राम के सर्वे सं.10,16, 11,13,12,40,39,43,60,73,74 और 44 से होते हुए लगभग 3100 मीटर उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है इसके बाद रेखा उपर्युक्त ग्राम के सर्वे सं.231 के दक्षिण-पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, चित्रादुर्गा (टीक्यू) के महादेवानाकट्टे ग्राम के सर्वे सं 23,30,28,43,63 और 59 और अत्रेहल ग्राम के सर्वे सं. 20, 19 ,12 और 14 से होते हुए और चित्रादुर्गा (टीक्यू) के गोदाबनल ग्राम के सर्वे सं. 346, 329 एवं 328 से होते हुए लगभग 3400 मीटर उत्तर-पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद रेखा उपर्युक्त सर्वे सं.92 के उत्तर-पूर्व कोने के बिंदु से मिलने के लिए, गोदाबनल ग्राम के सर्वे सं.231,230 की दक्षिणी सीमा और चित्रादुर्गा (टीक्यू)

सोनदेकोला के सर्वे सं 106,107,108,109 और 92 से होते हुए लगभग 2000 मीटर उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा नंदीपुरा ग्राम (टीक्यू) के सर्वे सं.27 के दक्षिण-पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, सोनदेकोला ग्राम के सर्वे सं 195,86 और 80 से होते हुए लगभग 1200 मीटर उत्तर-पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं.17 के उत्तर-पूर्व कोने के बिंदु से मिलने के लिए, नंदीपुरा ग्राम के सर्वे सं. 27,39,38,34,20,18 और 17 से होते हुए लगभग 2100 मीटर उत्तर-पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद रेखा उपर्युक्त ग्राम के सर्वे सं.45 के दक्षिण-पूर्व कोने के बिंदु से मिलने के लिए, चित्रादुर्गा (टीक्यू) के ओबेनल्ली के सर्वे सं. 25,26,27 और 1 से होते हुए और चित्रादुर्गा (टीक्यू) के उप्पानायाकानाहल्ली ग्राम के सर्वे सं. 40 और 39 से होते हुए लगभग 1200 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा आखिरी उक्त सर्वे सं.34 के उत्तर-पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, सोनदेकोला ग्राम के सर्वे सं 38,33 और 34 से होते हुए उप्पानायाकानाहल्ली ग्राम के सर्वे सं.40,44,48,1 और 7 से होते हुए लगभग 1900 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा पंडराल्ली ग्राम चित्रादुर्गा (टीक्यू) के सर्वे सं.11 के उत्तर-पूर्व कोने के बिंदु से मिलने के लिए, सोनदेकोला ग्राम के सर्वे सं.26,24 एवं 19 से होते हुए और गोदाबनल ग्राम के 204, 205, 201,182 से होते हुए लगभग 2500 मीटर उत्तर- पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा जानूकोंदा ग्राम के सर्वे सं.118 के दक्षिण-पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, पंडराल्ली ग्राम के सर्वे सं.10 और 8 से होते हुए लगभग 1100 मीटर उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं.92 के उत्तर-पश्चिम कोने के बिंदु से मिलने के लिए, जानूकोंदा ग्राम के सर्वे सं. 118,114,113,112,111,102 और 92 से होते हुए लगभग 1400 उत्तर-पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद रेखा आरंभिक बिंदु से मिलने के लिए, जानूकोंदा ग्राम के सर्वे सं. 87,84,82,81,79 और 78 से होते हुए लगभग 992 मीटर उत्तर की ओर जाती है।

जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के गूगल मानचित्र सहित मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर

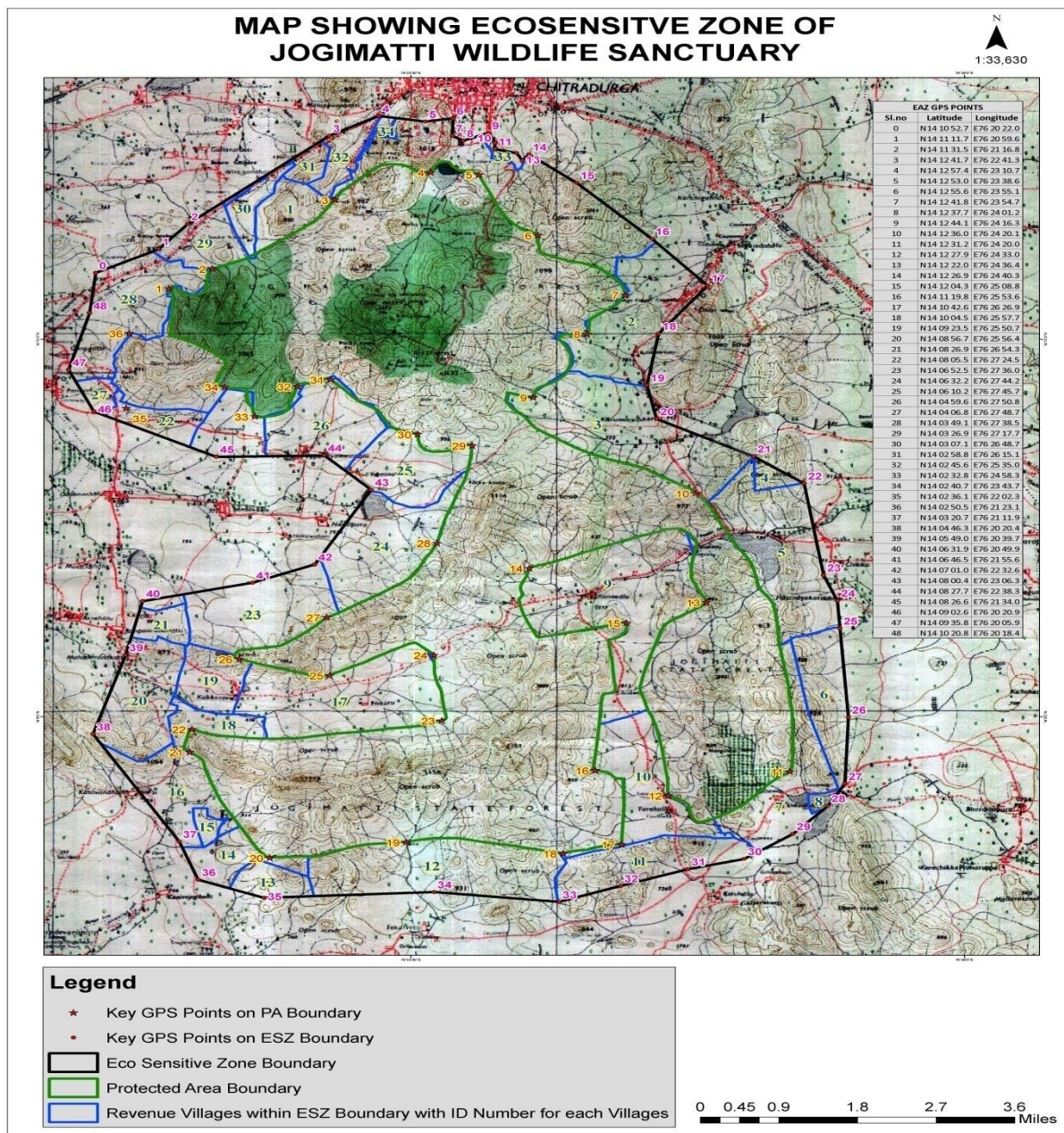


जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र सहित मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर



उपाबंध- IIग

जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र सहित भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर



उपाबंध-III

सारणी क: जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र आई डी	देशांतर (पू)			अक्षांश (उ)		
	डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड
1	76	21	5.53	14	10	40.55
2	76	21	31.56	14	10	56.27
3	76	22	44.53	14	11	51.05
4	76	23	41.85	14	12	12.69
5	76	24	10.45	14	12	10.98
6	76	24	45.82	14	11	22.79
7	76	25	37.64	14	10	35.29
8	76	25	14.87	14	10	4.32
9	76	24	42.88	14	9	13.98
10	76	26	19.74	14	7	57.77
11	76	27	15.92	14	4	16.58
12	76	26	3.57	14	3	57.46
13	76	26	26.13	14	6	31.10
14	76	24	40.64	14	6	58.23
15	76	25	38.64	14	6	14.82
16	76	25	19.94	14	4	17.63
17	76	25	35.56	14	3	18.63
18	76	25	0.79	14	3	11.58
19	76	23	27.10	14	3	20.47
20	76	22	5.78	14	3	8.06
21	76	21	18.05	14	4	32.11
22	76	21	19.45	14	4	50.33
23	76	23	48.23	14	4	57.17
24	76	23	43.68	14	5	49.21
25	76	22	41.60	14	5	33.04
26	76	21	47.57	14	5	46.02
27	76	22	39.73	14	6	19.17
28	76	23	45.56	14	7	18.16
29	76	24	6.46	14	8	35.72
30	76	23	34.01	14	8	44.72
31	76	22	42.07	14	9	28.12

32	76	22	22.23	14	9	22.76
33	76	21	56.90	14	8	58.84
34	76	21	34.02	14	9	23.67
35	76	21	39.27	14	9	43.03
36	76	21	5.89	14	10	3.53

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

स्टेशन	निर्देशांक	दूरी	उत्तरी	पूर्वी
0-1	63°	1.3 किलोमीटर	उ14°10'52.7"	पू76°20'22"
1-2	40°	800 मीटर	उ14°11'11.7"	पू76°20'59.6"
2-3	49°	3.3 किलोमीटर	उ14°11'31.5"	पू76°21'16.8"
3-4	61°	1.0 किलोमीटर	उ14°12'41.7"	पू76°22'41.3"
4-5	99°	848 मीटर	उ14°12'57.4"	पू76°23'10.7"
5-6	81°	500 मीटर	उ14°12'53"	पू76°23'38.6"
6-7	182°	428 मीटर	उ14°12'55.6"	पू76°23'55.1"
7-8	122°	232 मीटर	उ14°12'41.8"	पू76°23'54.7"
8-9	67°	493 मीटर	उ14°12'37.7"	पू76°24'1.2"
9-10	156°	274 मीटर	उ14°12'44.1"	पू76°24'16.3"
10-11	180°	148 मीटर	उ14°12'36"	पू76°24'20.1"
11-12	105°	402 मीटर	उ14°12'31.2"	पू76°24'20"
12-13	151°	208 मीटर	उ14°12'27.9"	पू76°24'33"
13-14	38°	190 मीटर	उ14°12'22"	पू76°24'36.4"
14-15	129°	1.1 किलोमीटर	उ14°12'26.9"	पू76°24'40.3"
15-16	136°	1.9 किलोमीटर	उ14°12'4.3"	पू76°25'8.8"
16-17	139°	1.5 किलोमीटर	उ14°11'19.8"	पू76°25'53.6"
17-18	217°	1.5 किलोमीटर	उ14°10'42.6"	पू76°26'26.9"
18-19	189°	1.3 किलोमीटर	उ14°10'4.5"	पू76°25'57.7"
19-20	168°	846 मीटर	उ14°9'23.5"	पू76°25'50.7"
20-21	118°	2.0 किलोमीटर	उ14°8'56.7"	पू76°25'56.4"
21-22	126°	1.1 किलोमीटर	उ14°8'26.9"	पू76°26'54.3"
22-23	171°	2.3 किलोमीटर	उ14°8'5.5"	पू76°27'24.5"
23-24	159°	676 मीटर	उ14°6'52.5"	पू76°27'36"
24-25	176°	682 मीटर	उ14°6'32.2"	पू76°27'44.2"
25-26	176°	2.2 किलोमीटर	उ14°6'10.2"	पू76°27'45.7"

26-27	182°	1.6 किलोमीटर	उ14°4'59.6"	पू76°27'50.8"
27-28	209°	625 मीटर	उ14°4'6.8"	पू76°27'48.7"
28-29	222°	929 मीटर	उ14°3'49.1"	पू76°27'38.5"
29-30	235°	1.1 किलोमीटर	उ14°3'26.9"	पू76°27'17.7"
30-31	256°	1.0 किलोमीटर	उ14°3'7.1"	पू76°26'48.7"
31-32	251°	1.3 किलोमीटर	उ14°2'58.8"	पू76°26'15.1"
32-33	250°	1.2 किलोमीटर	उ14°2'45.6"	पू76°25'35"
33-34	276°	2.3 किलोमीटर	उ14°2'32.8"	पू76°24'58.3"
34-35	267°	3.0 किलोमीटर	उ14°2'40.7"	पू76°23'43.7"
35-36	291°	1.3 किलोमीटर	उ14°2'36.1"	पू76°22'2.3"
36-37	340°	993 मीटर	उ14°2'50.5"	पू76°21'23.1"
37-38	330°	3.1 किलोमीटर	उ14°3'20.7"	पू76°21'11.9"
38-39	17°	2.0 किलोमीटर	उ14°4'46.3"	पू76°20'20.4"
39-40	13°	1.4 किलोमीटर	उ14°5'49"	पू76°20'39.7"
40-41	77°	2.0 किलोमीटर	उ14°6'31.9"	पू76°20'49.9"
41-42	68°	1.2 किलोमीटर	उ14°6'46.5"	पू76°21'55.6"
42-43	29°	2.1 किलोमीटर	उ14°7'1"	पू76°22'32.6"
43-44	315°	1.2 किलोमीटर	उ14°8'0.4"	पू76°23'6.3"
44-45	269°	1.9 किलोमीटर	उ14°8'27.7"	पू76°22'38.3"
45-46	297°	2.5 किलोमीटर	उ14°8'26.6"	पू76°21'34"
46-47	336°	1.1 किलोमीटर	उ14°9'2.6"	पू76°20'20.9"
47-48	15°	1.4 किलोमीटर	उ14°9'35.8"	पू76°20'5.9"
48-00	6°	992 मीटर	उ14°10'20.8"	पू76°20'18.4"

उपाबंध-IV

जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची सहित भू-निर्देशांक

क्र.सं.	ग्राम नाम	तालुक	क्षेत्र (हेक्टेयर)	देशांतर			अक्षांश		
				डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड
1	चित्रादुर्गा कस्बा	चित्रादुर्गा	1136.25	76	27	37.25	14	11	53.51
2	इंगालादलू	चित्रादुर्गा	433.166	76	27	13.22	14	10	16.61
3	कुरुमारादीकेरे	चित्रादुर्गा	597.947	76	27	34.54	14	8	46.82
4	पलाववनहल्ली	हीरियूरु	36.969	76	25	32.66	14	8	10.69

5	चिक्कासीदावानाहल्ली	हीरियूर	517.294	76	25	48.89	14	7	11.37
6	भरमपुरा	हीरियूर	234.530	76	25	48.94	14	5	18.16
7	यालाकुरनहल्ली	हीरियूर	333.050	76	23	46.08	14	4	10.50
8	कुम्बराघाट्टा	हीरियूर	18.264	76	22	6.79	14	3	53.47
9	केल्लेहदलु	चित्रादुर्गा	753.151	76	21	44.83	14	6	30.06
10	येरेहल्ली	चित्रादुर्गा	356.904	76	21	28.19	14	4	6.32
11	कोलालु	होललकेरे	295.456	76	21	10.01	14	3	4.11
12	थेकलावाट्टी	होललकेरे	550.850	76	22	50.92	14	2	58.33
13	संगनहल्ली	होललकेरे	94.685	76	21	31.46	14	2	49.07
14	कानीवेहाल्ली	होललकेरे	140.549	76	21	30.90	14	3	7.19
15	गोंदीहाल्ली	होललकेरे	30.725	76	20	49.84	14	3	33.14
16	कसवानाहल्ली	होललकेरे	263.207	76	21	2.40	14	4	1.17
17	दोदपुरा	चित्रादुर्गा	582.770	76	21	0.33	14	5	15.96
18	रामपुरा	चित्रादुर्गा	108.519	76	21	55.44	14	4	54.07
19	काककेहरवू	चित्रादुर्गा	163.644	76	23	13.57	14	5	29.34
20	महादेवानाकट्टे	चित्रादुर्गा	328.100	76	23	28.37	14	5	13.63
21	अन्नेहलु	चित्रादुर्गा	76.399	76	22	38.09	14	6	12.90
22	गोदाबनलु	चित्रादुर्गा	124.342	76	20	24.06	14	8	33.18
23	सोंदेकोला	चित्रादुर्गा	558.182	76	20	42.06	14	7	5.33
24	नन्धिपुरा	चित्रादुर्गा	410.885	76	21	27.58	14	7	16.08
25	ओबांनानाहाल्ली	चित्रादुर्गा	261.957	76	21	55.58	14	8	17.18
26	उप्पानाडकनहाल्ली	चित्रादुर्गा	304.153	76	22	29.29	14	8	52.09
27	पंडराहल्ली	चित्रादुर्गा	43.838	76	22	49.82	14	9	16.47

28	जानाकोंदा	चित्रादुर्गा	376.598	76	24	25.83	14	10	23.69
29	जगदलीपुर	चित्रादुर्गा	151.017	76	23	12.73	14	11	16.98
30	अथ्थीकेट्टे	चित्रादुर्गा	85.283	76	27	37.25	14	11	44.37
31	किरूवानाकाल्लु	चित्रादुर्गा	51.923	76	27	13.22	14	12	18.82
32	जे.आई. हुलागुंदी	चित्रादुर्गा	96.579	76	27	34.54	14	12	25.26
33	केलागोटे	चित्रादुर्गा	18.015	76	25	32.66	14	12	26.37
34	निरलागुंधी	चित्रादुर्गा	17.762	76	25	48.89	14	12	45.68
कुल			9552.97						

उपाबंध-V

जोगीमत्ती वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सर्वेक्षण संख्या-वार विवरण

(सर्वेक्षण संख्या पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा से होते हुए जाती है)

क्र.सं.	तालुक	होबली	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या
1.	चित्रादुर्गा	कस्बा	जनूकोंदा	49,118,114,112,111,102,92,87.84,82,81,79,78, 50,54,55,56
2.	चित्रादुर्गा	कस्बा	जगदलीपुरा	8,11,32,1
3.	चित्रादुर्गा	कस्बा	अट्टीकाटे	15,9,8,7,6,3
4.	चित्रादुर्गा	कस्बा	कीरावानाकल्लू	13,11,10,
5.	चित्रादुर्गा	कस्बा	हुलीगुंदी	1,6,10
6.	चित्रादुर्गा	कस्बा	नेरूलागुन्डी	1
7.	चित्रादुर्गा	कस्बा	चित्रादुर्गा	15, (106,104,94 केलागोटे), 54,58,59,33
8.	चित्रादुर्गा	कस्बा	इंगालादाल	32,33,15,26,14,63,18,62,19,58,90,59, 63,31,24
9.	चित्रादुर्गा	कस्बा	कुरुमारादीकेरे	1,57,66,65,27,16,87,14,86,93,91,46,88,13,92
10.	हीरियूरु	इमंगल	पलावानाहाल्ली	131,132,133,136,137

11.	हीरियूरु	इमंगल	चिक्कासीदावानाहल्ली	144,84,143,83,82,86,138,139,143,155,56,48,4 7,40,41,141,55,56,48,45
12.	हीरियूरु	इमंगल	यारेहल्ली	65,240,236,235,66,1
13.	हीरियूरु	इमंगल	येलाकुरनहल्ली	21,4,3,5,17,8,9,10,2
14.	होललकेरे	तलया	कोल्लाला	25,13,18,113,152,115,116,112,22,117
15.	होललकेरे	तलया	थेकालावत्ती	131,62,60,80,79,84,87,43,50,51,49,57, 58,52,54,86
16.	होललकेरे	तलया	कनाविहल्ली	13,12,8,17,1,2,3,4,7
17.	चित्रादुर्गा	कस्बा	कसवानाहल्ली	1,2,3,4,10,16,11,13,12,40,39,43,60,73,74, 44,23,30,28,43,63,59, 57
18.	चित्रादुर्गा	तलया	संगेनाहल्ली	16,30,33,32,15,31,30,29,34,22,11
19.	चित्रादुर्गा	कस्बा	अन्नीहल्ला	20,19,12,14,13,1
20.	चित्रादुर्गा	कस्बा	गोदबाहालु	346,329,328,231,230,204,205,201, 182,202,200,181
21.	चित्रादुर्गा	कस्बा	पंदराहल्ली	124,56,142,57,58,59,60,16,62,63,64, 72,73,75,94,95,104,105,107,11,10,8
22.	चित्रादुर्गा	कस्बा	महादेवानाकाट्टे	23,71,29,28,30,40,43,42,41,59
23.	चित्रादुर्गा	कस्बा	सोनदेकोला	106,107,108,109,92,195,86,80,38,33,34.26,26, 24,87,90,79,105,110,91,92
24.	चित्रादुर्गा	कस्बा	नंदीपुरा	27,39,38,34,20,18,17 ,19,32,34,33,
25.	चित्रादुर्गा	कस्बा	ओबेनाहल्ली	25,26,27,1,24
26.	चित्रादुर्गा	कस्बा	उप्पानायाकानाहल्ली	40,39,45,44,48,7,41,46,47,6,1

उपाबंध- VI

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का रूप विधान - पारिस्थितिकी संवेदी जोन की मानीटरी समिति:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें)।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण, (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2021

S.O.5251(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2185 (E), dated the 7th June, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 8th June, 2021;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

AND WHEREAS, the Jogimatti Wildlife Sanctuary is situated in Chitradurga Taluk, Chitradurga district of Karnataka and is lies between 13° 34' 01.5" N latitude and 76° 17' E longitude. The Sanctuary comprises of two sections viz Jogimatti section and Keenedalu section. The area was first constituted as Jogimatti State forest by the Government, his Highness the Maharaja of Mysore vide Notification A.F 144-Ft-142-38-8 dated 8th July 1940 u/s 17 of Mysore Forest Act (XI of 1900) to an extent of 38.8 square mile or 10048.97 hectares or 100.48 square kilometres. The forest has now been declared as Jogimatti wildlife Sanctuary vide notification no. FEE 77FWH 2015 Bangalore dated 23rd December 2015 by the Forest Ecology and Environment Department, Government of Karnataka;

AND WHEREAS, The forests of Jogimatti Wildlife Sanctuary have one of the few wild surviving population of the endangered leopards (*Panthera pardus*), sloth bear (*Melursus ursinus*) peacock (*Pavo Cristatus*) which are endemic to the area and are facing increasing threats from various angles. So in order to protect and conserve such species, highest protection has been provided under schedule-I of Wildlife Protection Act 1972;

AND WHEREAS, the major flora available in the Jogimatti Wildlife Sanctuary *Acacia latronum* (hottejali), *Acacia leucophoea* (bili jail), *Acacia pennata* (kaadu seege), *Albizia procera* (belati, safed siris), *Abrus precatorius* (gulganji), *Aloe vera* (lolesara), *Bauhinia purpurea* (doddabasavanpada), *Butea monosperma* (muttuga), *Cassia auriculata* (thangadi), *Carissa carandus* (kavale), *Cordia dichotoma* (challe), *Dalbergia latifolia* (rosewood, beete), *Dendrocalamus strictus* (mare bamboo), *Euphorbia nivulia* (kalli), *Erythroxylon monogynum* (devadri, dadyari), *Ficus glomerata* (atti), *Grewia tiliaefolia* (tadasalu, jane), *Gymnosporia Montana* (thondarsi, danti), *Hardwickia binata* (kamara, anjian), *Lantana Camara* (lantana), *Morinda tinctoria* (fadu kumbala), *Melia azadirach* (arebevu, huchbevu), *Nerium adorum* (kanagala), *Pongamia pinnata* (honge, kanige), *Prosopis juliflora* (bellary jail), *Semecarpus anacardium* (geru, marking nut), *Stereospermum chelonoides* (uded), *Terminalia tomentosa* (karimatti), *Terameles nudiflora* (kadbende), *Zizyphus xylpyrus* (gotte), etc;

AND WHEREAS, important medicinal plant recorded from the Jogimatti Wildlife Sanctuary are *Acalypha indica*, *Acacia nilotica*, *Albizia lebbek*, *Amaranthus*, *Asparagus racemosus*, *Bambusa arundinacea*, *Cassia fistula*, *Datura innoxia*, *Dodania viscosa*, *Erythrina indica*, *Leucas aspera*, *Mimosa poudica*, *Mirabilis jalapa*, *Murraya koenigii*, *Pandanus fascicularis*, *Plumaria acuminata*, *Psidium guajava*, *Quisqualis indica*, *Sarcostemma acidum* (Roxb.), *Solanum nigrum*, etc;

AND WHEREAS, major fauna available in the Jogimatti Wildlife Sanctuary are black buck (*Antilope cervicapra*), common langur (*Presbytis entellus*), common fox (*Vulpes bengalensis*), fruit bat (*Chiroptera*), hyaena

(*Hyaena hyaena*), Indian hare (*Lepus nigricollis*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), Indian wolf (*Canis lupus pallipes*), jackal (*Canis aureus*), jungle cat (*Felis chaus*), panther (*Panthera pardus*), sloth bear (*Melursus ursinus*), spotted deer (*Axis axis*), wild boar (*Sus scrofa*), ashy wren warbler (*Prinia socialis*), black winged kite (*Elanus caeruleus*), blue pigeon (*Columba livia*), black headed oriole (*Oriolus xanthornus*), crow pheasant (*Centropus sinensis*), common myna (*Acridotheres tristis*), cattle egret (*Babulus ibis*), common kingfisher (*Alcedo atthis*), grey wagtail (*Motacilla caspica*), great horned owl (*Bubo bubo*), golden backed wood pecker (*Dinopium benghalensis*), Indian robin (*Saxicoloides fulicata*), jungle myna (*Acridotheres fusens*), koel (*Eudynamys scolopacea*), munia (*Lonchura spp.*), pariah kite (*Milvus migrans*), red turtle dove (*Streptopelia spp.*), whistling thrush (*Myiophonus horsfieldii*), chameleon (*Chameleon calcaratus*), krait (*Bangarus ceruleus*), python (*Pythonidae*), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Jogimatti Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 575 meters to 1.00 kilometres around the boundary of Jogimatti Wildlife Sanctuary, in Chitradurga district in the State of Karnataka as the Jogimatti Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of the Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 575 meters to 1.00 kilometres around the boundary of Jogimatti Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 95.53 square kilometres.
 - (2) The boundary description of Jogimatti Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Jogimatti Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, **Annexure-IIB** and **Annexure-IIC**.
 - (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Jogimatti Wildlife Sanctuary and the Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III**.
 - (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
 - (6) The survey number wise detail of Eco-sensitive zone of Jogimatti Wildlife Sanctuary, Karnataka is appended as **Annexure-V**.
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification and get it duly approved by the competent authority in the State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall provide mechanism for regulating developmental activities in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved by the State Government shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be

drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.- (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman

		Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of new or expansion of existing major or minor or mini Hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Prohibited.
7.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
9.	Railways, ropeways underground pipelines.	Prohibited.
10.	Pipelines and Canals.	Prohibited.
11.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
12.	11a electric fencing.	Prohibited.
13.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
14.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
15.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3

		as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents, such as :- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) promoted activities given in paragraph 4: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
16.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
18.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
20.	Fencing, compound of commercial hotels or resorts and commercial agricultural and horticultural ventures by companies or firms or corporate houses.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Maintenance of village roads.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.

25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Use of renewable energy sources for subsistence use.	Permitted under applicable laws for use of locals.
27.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Air pollution by vehicle.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
33.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
34.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
35.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
36.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
C. Promoted Activities		
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
39.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
40.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
41.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
42.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
43.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
44.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
45.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
46.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
47.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.**- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Regional Commissioner, Bengaluru	Chairman, <i>ex officio</i> ;
2.	Deputy Commissioners, Chitradurga District	Member, <i>ex officio</i> ;
3.	Superintend of Police - Chitradurga District	Member, <i>ex officio</i> ;
4.	Representative of Pollution Control Board	Member, <i>ex officio</i> ;
5.	Representative of Animal Husbandry Department	Member, <i>ex officio</i> ;
6.	Representative of Minor Irrigation Department	Member, <i>ex officio</i> ;
7.	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Karnataka	Member;
8.	Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Karnataka State Forest Department	Member;
9.	Wildlife Warden – any other expert person	Member;
10.	Deputy Conservator of Forests, Territorial Division, Chitradurga	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure-VI.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.– The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.– The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/11/2020-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

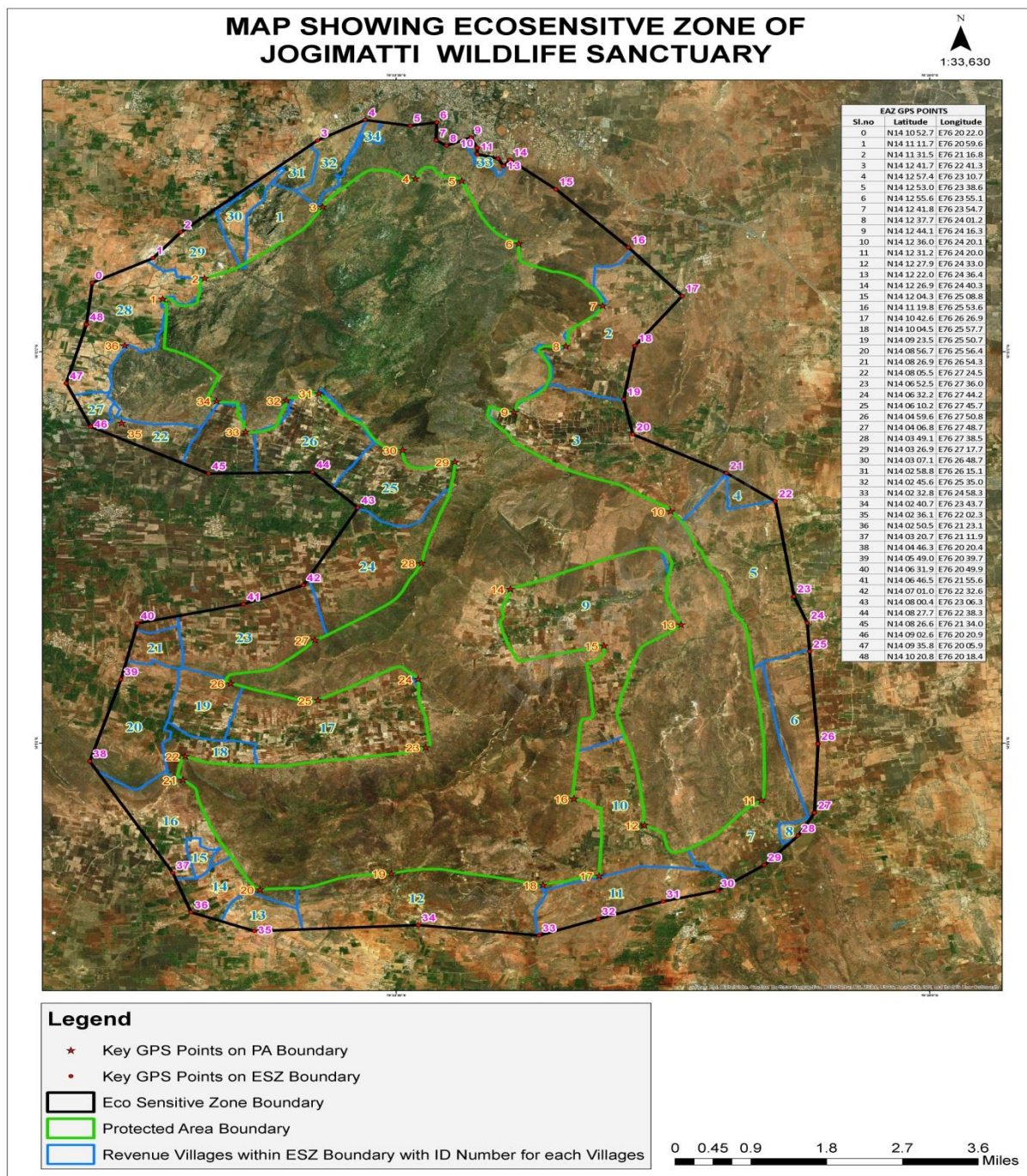
BOUNDARY DESCRIPTION OF JOGIMATTI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE KARNATAKA

North :	Starting from the South-west Boundary of Sy no 49 of Janukonda of Chitradurga (Tq). Line runs through towards North-east about 1300 Mtrs all along the Holalkere-Chitradurga Road to meet a point at South-west corner of Sy no 8 of Jagadalipura Chitradurga (Tq) Then Line runs towards North-east about 800 Mtrs All along the Holalkere- Chitradurga road to meet a point at Sy no 11 of Jagalipura. Then Line runs Nort-east about 3300 Mtrs through the Sy no 11, 32 and 1 of jagadalipura and Sy no 15, 9,8,7,6 and 3 of Attikatte village of Chitradurga (Tq) and Sy no 13, 11 and 10 of kirabanakallu to meet a point at Northeast corner of Sy no 10 of kirabanakallu. Line runs North-east about 1000 Mtrs Through the Sy no 1,6,10 of huligundi village of Chitradurga ((Tq)) to meet a point at West corner of Sy no 1 of Niralagundi village of same (Tq) . Then line runs slightly South-east through the sy No 1 of Niralagundi and chitradurga fort about 848 mtrs to meet the point at North West corner of sy no 37 of chitradurga. Then line runs slightly North east about 500 mtr's by 810 to meet fort broders thogh the Then line runs South about 428 as along the fort borders mtr's to meet the point at North corner of sy no 12 of Chitradurga. Then line runs South East about 232 mtr's to meet the point North-West corner of Sy no 73 of Chitradurga. Then line runs North-East All along the Northen boundary of 73 about 493 mtr's to meet the point at North corner of sy no 13 of Chitradurga. Then line runs Common boundary of Chitradurga and Kelagote Villges about 1350 mtr's to meet point at westren corner of sy no 54 of Chitradurga. Then Line runs south-east about 3050 mtr's through the sy no 33 of Chitradurga to meet point at North-West corner of Sy No 32 of Ingaladalu Village of Chitradurga (Tq). Then Line runs South-east about 1500 Mtrs through the Sy no 32, 33,15 and 26 of Ingaladalu village to meet a point at Sourth west corner of Sy no 14 of Ingaladalu.
East :	Then Line runs towards South-west about 1500 Mtrs Through the Sy no 63, 18 & 19 of Ingaladalu village Chitradurga (Tq) to meet a point at North west Corner of Sy no 62 of Ingaladalu village . Then Line runs Slightly South-west about 1300 Mtrs through the Sy no 58,90,59,61and 62 of Same above Said village meet a point at North west Corner of Sy no 1 of kurumaradikere village of Chitradurga (Tq). Line runs Slightly South-east about 846 Mtrs Through the Sy no 1,57,66 and 65 of kurumaradikere village of Chitradurga (Tq), to meet a point at South-east corner of Sy no 27 of same above said village. Line runs towards South east about 2000 Mtrs Through the Sy no 16,87,14,86,93 ,91 and 46 of kurumaradikere village to meet a point at east corner of Sy no 46 of kurumaradikere village. Line runs towards South-east about 1100 Mtrs Through the Sy no 131,132and 133 of Palavanahalli village of Imangala hobli Hiriyr ((Tq)) to meet a point at North west corner of Sy no 144 of Chikkasiddavanahalli village of Aimangala hobli Hiriyr ((Tq)) . Then Line runs towards South-east about 2300 Mtrs Eastn Boundary of Sy no 84,143 and Through the Sy no 83, 82, 86, 138,139 & 143 and 155 of Chikkasiddavanahalli village to meet a point at South west corner of Sy no 55 of Same above said village . Line runs South-east about 676 Mtrs Through the Sy no 56,48 & 47 of Chikkasiddavanahalli Village to meet a point At South west corner of Sy no 40 of Same Above said village. Then Line runs towards South About 682 Mtrs of westran Boundary of Sy no 40 & 41 of Chikkasiddavanahalli village to meet a point at South west corner of Sy no 41 of Same above said village. Line runs towards South about 3800 Mtrs through the Sy no 115, 114, 49, 48 and reaches north west corner of survey No 47 of Barampura Village, of Imangala hobli, Hiriyr (Tq) and continues to survey No. 44of same village and reaches South-east corner of Sy No 21 of Yalakuranahalli village of Imangala hobli, Hiriyr (Tq)
South :	Then line runs towards South west about 625 Mtrs thugh the Sy. no 1 of Kumbarghatta village to meet a point at North-east corner of Sy. no 4 (tank) of Yalakuranahalli village. Then Line runs towards South-west about 929 Mtrs Through the Sy.No 3,5 and 17 of yalakuranahalli village to meet a point at Souths-west corner of Sy no 17. Line runs towards south west about 1100 Mtrs through the Sy no7, 8 and 9 of yalakuranahaali village and through the Sy no 25 of kolal village of talya hobli Holalkere (Tq) to meet a point at South-west corner of Same above said village and (Tq) . Then Line runs towards South-west about 1000 Mtrs through the Sy no 13, 18, 16, 19, & 113 of the Kolal village to meet a point at South-east corner of Sy no 152 of Kolal village. Then Line runs towards South-west about 2500 Mtrs through the Sy no 115,116,113, and 112 of kolal village to meet a point at South-east corner of Tekalavatti village of talya hobli holalkere (Tq). Then Line runs towards slightly South west About 2300 Mtrs Southern Boundary Sqy no 131 and through the Sy no 62,60 and 80 of Thekalavatti village to meet a point at North corner of Sy no 79 of Thekalavatti village . Then Line runs towards west about 3000 Mtrs through the Sy no 84,87,43,50,51,49,57and 58 of Thekalavatti village and through the Sy no 16 of Sangenahaali village of talya hobli Holalkeree (Tq) to meet a point at South-east corner of Sy no 33 of same above said village. Line

	runs towards North west about 1300 Mtrs through the Sy no 33,32,15,31,30 and 29 of Sangenahalli village and through the Sy no 1 of Kanevehalli village Talya hobli Holalkeree (Tq) to meet a point at north west corner of above last said Sy no 29.
West :	Then Line runs towards north west about 993 Mtrs Western Boundary of Sy 2,3 and 4 of Kanivenhalli village to meet a point at North west corner of above last said Sy no. Then Line runs towards North west about 3100 Mtrs Through the Sy no 10, 16 , 11,13,12,40,39,43,60,73,74 and 44 of kasavanahalli village to meet a point at South-west Corner of Sy no 23 of kasavanahalli village. Then Line runs towards North-east about 3400 Mtrs Through the Sy no 23,30,28,43,63 and 59 of Mahadevanakatte village and Sy no 20, 19 ,12 and 14 of annehal village of chitradurga (TQ) and through the Sy no 346 ,329 & 328 of Godabanal village of Chitradurga (Tq) to meet a point at South-west Corner of Sy no 231 of Above said village . Then Line runs towards North-west about 2000 Mtrs Southern Boundary of Sy no 231,230 of Godabanal village and Through the Sy no 106,107,108,109 and 92 of Sondekola Chitradurga (Tq) to meet a point at North-east Corner of Sy no above last said Sy no 92 Then Line runs towards North east about 1200 Mtrs Through the Sy no 195,86 and 80 of Sondekola village to meet a point at South west Corner of Sy no 27 of nandipura village Same (Tq). Then Line runs towards North east about 2100 Mtrs Through the Sy no 27,39,38,34,20,18 and 17 of Nandipura village to meet a point at North-east Corner of Sy 17 .Then Line runs towards North west about 1200 Mtrs Through the Sy no 25,26,27 and 1 of Obenalli of Chitradurga (Tq) and through the Sy no 40 and 39 of Uppanayakanahalli village Chitradurga (Tq) to meet a point at South-East Corner of Sy no 45 of above said village .Then Line runs towards west about 1900 Mtrs Through the Sy no 40,44,48,1 and 7 of Uppanyakanahalli village through the Sy no 38,33 and 34 of Sondekola village to meet a point at north-west Corner of Last said Sy no 34 Then Line runs towards North-west about 2500 Mtrs Through the Sy no 26 , 24 & 19 of sondekola village and through the Sy no 204,205,201,182 of godabanal village to meet a point at north-east Corner of Sy no 11 of Pandralli village Chitradurga (Tq).Then Line runs towards North-west about 1100 Mtrs Through the Sy no 10 and 8 pandrahalli village to meet a point at South-west Corner of Sy no 118 of Janukonda village . Then Line runs towards slightly North-east about 1400 Mtrs Through the Sy no 118,114,113,112,111,102 and 92 of Janukonda village to meet a point at last said North West Corner of Sy no 92 .Then Line runs towards north about 992 Mtrs Through the Sy no 87,84,82,81,79 and 78 of janukonda village to meet a Starting point.

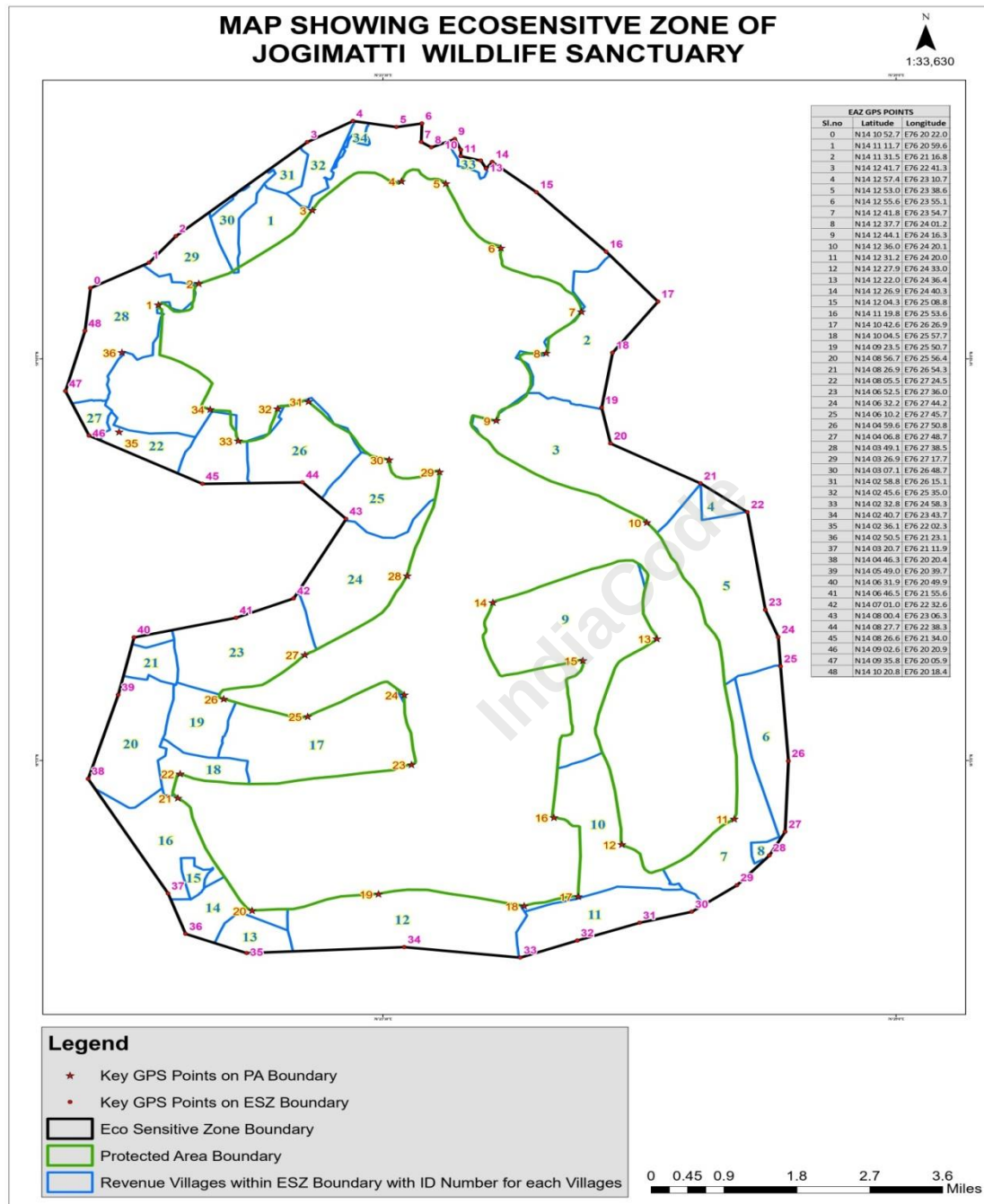
ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JOGIMATTI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



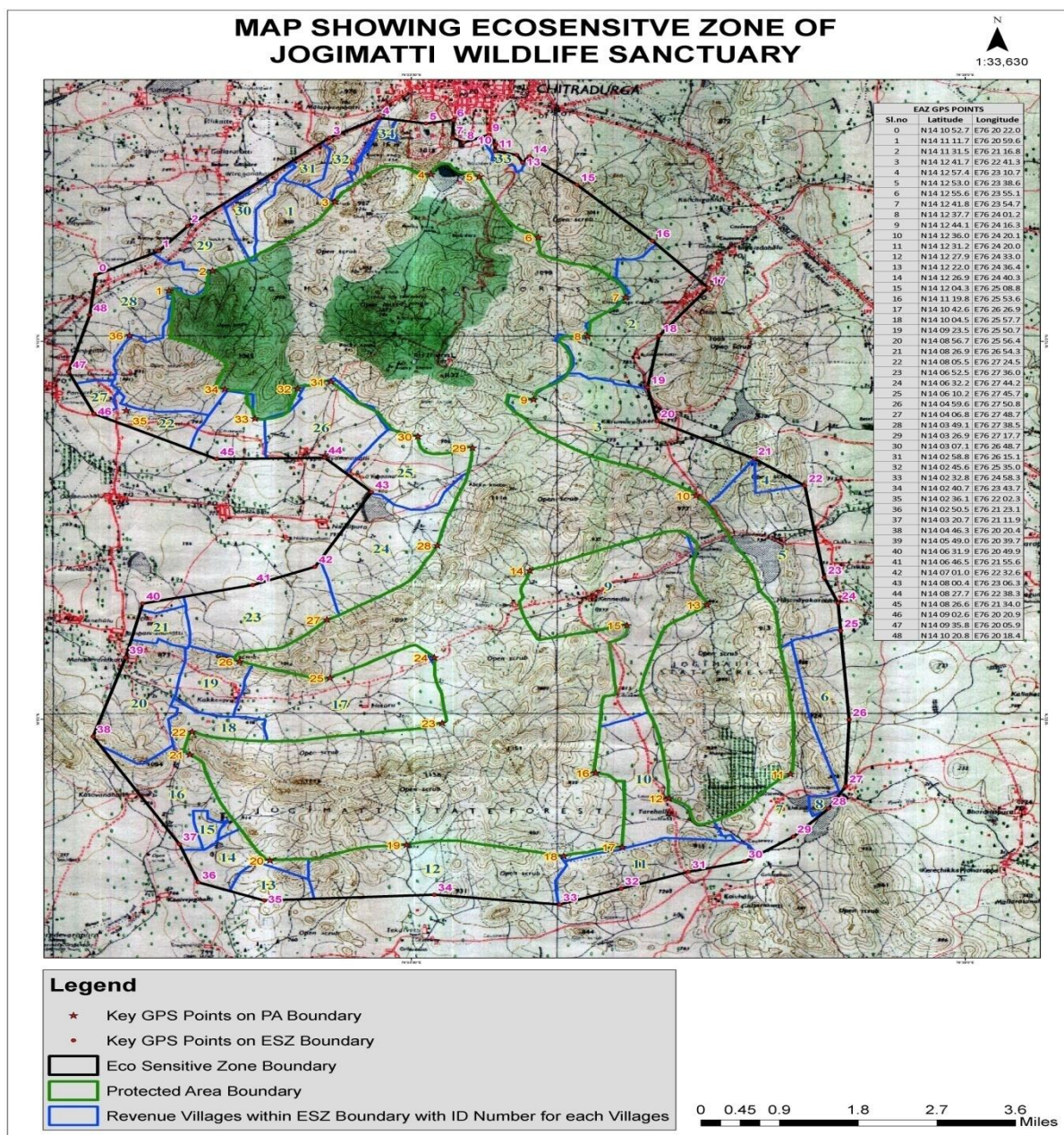
ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JOGIMATTI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JOGIMATTI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF JOGIMATTI WILDLIFE SANCTUARY

Map ID	Longitude (E)			Latitude (N)		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	76	21	5.53	14	10	40.55
2	76	21	31.56	14	10	56.27
3	76	22	44.53	14	11	51.05
4	76	23	41.85	14	12	12.69
5	76	24	10.45	14	12	10.98
6	76	24	45.82	14	11	22.79
7	76	25	37.64	14	10	35.29
8	76	25	14.87	14	10	4.32
9	76	24	42.88	14	9	13.98
10	76	26	19.74	14	7	57.77
11	76	27	15.92	14	4	16.58
12	76	26	3.57	14	3	57.46
13	76	26	26.13	14	6	31.10
14	76	24	40.64	14	6	58.23
15	76	25	38.64	14	6	14.82
16	76	25	19.94	14	4	17.63
17	76	25	35.56	14	3	18.63
18	76	25	0.79	14	3	11.58
19	76	23	27.10	14	3	20.47
20	76	22	5.78	14	3	8.06
21	76	21	18.05	14	4	32.11
22	76	21	19.45	14	4	50.33
23	76	23	48.23	14	4	57.17
24	76	23	43.68	14	5	49.21
25	76	22	41.60	14	5	33.04
26	76	21	47.57	14	5	46.02
27	76	22	39.73	14	6	19.17
28	76	23	45.56	14	7	18.16
29	76	24	6.46	14	8	35.72
30	76	23	34.01	14	8	44.72
31	76	22	42.07	14	9	28.12
32	76	22	22.23	14	9	22.76
33	76	21	56.90	14	8	58.84
34	76	21	34.02	14	9	23.67
35	76	21	39.27	14	9	43.03
36	76	21	5.89	14	10	3.53

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

STATION	BEARING	DISTANCE	NORTHING	EASTING
0-1	63°	1.3 km	N14°10'52.7"	E76°20'22"
1-2	40°	800 m	N14°11'11.7"	E76°20'59.6"
2-3	49°	3.3 km	N14°11'31.5"	E76°21'16.8"

3-4	61°	1.0 km	N14°12'41.7"	E76°22'41.3"
4-5	99°	848 m	N14°12'57.4"	E76°23'10.7"
5-6	81°	500 m	N14°12'53"	E76°23'38.6"
6-7	182°	428 m	N14°12'55.6"	E76°23'55.1"
7-8	122°	232 m	N14°12'41.8"	E76°23'54.7"
8-9	67°	493 m	N14°12'37.7"	E76°24'1.2"
9-10	156°	274 m	N14°12'44.1"	E76°24'16.3"
10-11	180°	148 m	N14°12'36"	E76°24'20.1"
11-12	105°	402 m	N14°12'31.2"	E76°24'20"
12-13	151°	208 m	N14°12'27.9"	E76°24'33"
13-14	38°	190 m	N14°12'22"	E76°24'36.4"
14-15	129°	1.1 km	N14°12'26.9"	E76°24'40.3"
15-16	136°	1.9 km	N14°12'4.3"	E76°25'8.8"
16-17	139°	1.5 km	N14°11'19.8"	E76°25'53.6"
17-18	217°	1.5 km	N14°10'42.6"	E76°26'26.9"
18-19	189°	1.3 km	N14°10'4.5"	E76°25'57.7"
19-20	168°	846 m	N14°9'23.5"	E76°25'50.7"
20-21	118°	2.0 km	N14°8'56.7"	E76°25'56.4"
21-22	126°	1.1 km	N14°8'26.9"	E76°26'54.3"
22-23	171°	2.3 km	N14°8'5.5"	E76°27'24.5"
23-24	159°	676 m	N14°6'52.5"	E76°27'36"
24-25	176°	682 m	N14°6'32.2"	E76°27'44.2"
25-26	176°	2.2 km	N14°6'10.2"	E76°27'45.7"
26-27	182°	1.6 km	N14°4'59.6"	E76°27'50.8"
27-28	209°	625 m	N14°4'6.8"	E76°27'48.7"
28-29	222°	929 m	N14°3'49.1"	E76°27'38.5"
29-30	235°	1.1 km	N14°3'26.9"	E76°27'17.7"
30-31	256°	1.0 km	N14°3'7.1"	E76°26'48.7"
31-32	251°	1.3 km	N14°2'58.8"	E76°26'15.1"
32-33	250°	1.2 km	N14°2'45.6"	E76°25'35"
33-34	276°	2.3 km	N14°2'32.8"	E76°24'58.3"
34-35	267°	3.0 km	N14°2'40.7"	E76°23'43.7"
35-36	291°	1.3 km	N14°2'36.1"	E76°22'2.3"
36-37	340°	993 m	N14°2'50.5"	E76°21'23.1"
37-38	330°	3.1 km	N14°3'20.7"	E76°21'11.9"

38-39	17°	2.0 km	N14°4'46.3"	E76°20'20.4"
39-40	13°	1.4 km	N14°5'49"	E76°20'39.7"
40-41	77°	2.0 km	N14°6'31.9"	E76°20'49.9"
41-42	68°	1.2 km	N14°6'46.5"	E76°21'55.6"
42-43	29°	2.1 km	N14°7'1"	E76°22'32.6"
43-44	315°	1.2 km	N14°8'0.4"	E76°23'6.3"
44-45	269°	1.9 km	N14°8'27.7"	E76°22'38.3"
45-46	297°	2.5 km	N14°8'26.6"	E76°21'34"
46-47	336°	1.1 km	N14°9'2.6"	E76°20'20.9"
47-48	15°	1.4 km	N14°9'35.8"	E76°20'5.9"
48-00	6°	992 m	N14°10'20.8"	E76°20'18.4"

ANNEXURE-IV

**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF JOGIMATTI WILDLIFE
SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

SL No.	Village Name	Taluk	Area in Ha	Longitude			Latitude		
				Degree	Min .	Seconds	Degree	Min .	Seconds
1	Chitradurga Kasaba	Chitradurga	1136.25	76	27	37.25	14	11	53.51
2	Ingaladalu	Chitradurga	433.166	76	27	13.22	14	10	16.61
3	Kurumaradikere	Chitradurga	597.947	76	27	34.54	14	8	46.82
4	Palavvanahalli	Hiriyuru	36.969	76	25	32.66	14	8	10.69
5	Chikkasiddavvanahalli	Hiriyuru	517.294	76	25	48.89	14	7	11.37
6	Bharampura	Hiriyuru	234.530	76	25	48.94	14	5	18.16
7	Yalakooranahalli	Hiriyuru	333.050	76	23	46.08	14	4	10.50
8	Kumbaraghatta	Hiriyuru	18.264	76	22	6.79	14	3	53.47
9	Kallehadlu	Chitradurga	753.151	76	21	44.83	14	6	30.06
10	Yarehalli	Chitradurga	356.904	76	21	28.19	14	4	6.32
11	Kolalu	Holalkere	295.456	76	21	10.01	14	3	4.11
12	Thekalavatti	Holalkere	550.850	76	22	50.92	14	2	58.33
13	Sangenahalli	Holalkere	94.685	76	21	31.46	14	2	49.07
14	Kanivehalli	Holalkere	140.549	76	21	30.90	14	3	7.19
15	Gondhihalli	Holalkere	30.725	76	20	49.84	14	3	33.14
16	Kasavanahalli	Holalkere	263.207	76	21	2.40	14	4	1.17
17	Doddapura	Chitradurga	582.770	76	21	0.33	14	5	15.96
18	Ramapura	Chitradurga	108.519	76	21	55.44	14	4	54.07
19	Kakkeharavu	Chitradurga	163.644	76	23	13.57	14	5	29.34
20	Mahadevanakatte	Chitradurga	328.100	76	23	28.37	14	5	13.63

21	Annehalu	Chitradurga	76.399	76	22	38.09	14	6	12.90
22	Godabanalu	Chitradurga	124.342	76	20	24.06	14	8	33.18
23	Sondekola	Chitradurga	558.182	76	20	42.06	14	7	5.33
24	Nandhipura	Chitradurga	410.885	76	21	27.58	14	7	16.08
25	Obannanahalli	Chitradurga	261.957	76	21	55.58	14	8	17.18
26	Uppanaikanahalli	Chitradurga	304.153	76	22	29.29	14	8	52.09
27	Pandarahalli	Chitradurga	43.838	76	22	49.82	14	9	16.47
28	Janakonda	Chitradurga	376.598	76	24	25.83	14	10	23.69
29	Jagadalipura	Chitradurga	151.017	76	23	12.73	14	11	16.98
30	Atthikatte	Chitradurga	85.283	76	27	37.25	14	11	44.37
31	Kirubanakallu	Chitradurga	51.923	76	27	13.22	14	12	18.82
32	J.I.Hulagundi	Chitradurga	96.579	76	27	34.54	14	12	25.26
33	Kelagote	Chitradurga	18.015	76	25	32.66	14	12	26.37
34	Nirlagundhi	Chitradurga	17.762	76	25	48.89	14	12	45.68
Total			9552.97						

ANNEXURE-V

**SURVEY NUMBER WISE DETAILS OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JOGIMATTI WILDLIFE
SANCTUARY, KARNATAKA**

(Eco-sensitive Zone border line passes through Survey number's)

Sl. No.	Taluk	Hobli	Village	Survey Numbers
1	Chitradurga	Kasaba	Jankonda	49,118,114,112,111,102,92,87.84,82,81,79,78,50,54,55,56
2	Chitradurga	Kasaba	Jagadalipura	8,11,32,1
3	Chitradurga	Kasaba	Attikatti	15,9,8,7,6,3
4	Chitradurga	Kasaba	Kirubanakallu	13,11,10,
5	Chitradurga	Kasaba	Huligundi	1,6,10
6	Chitradurga	Kasaba	Neerulagundi	1
7	Chitradurga	Kasaba	Chitradurga	15, (106,104,94kelagote), 54,58,59,33
8	Chitradurga	Kasaba	Ingaladal	32,33,15,26,14,63,18,62,19,58,90,59,63,31,24
9	Chitradurga	Kasaba	Kurumaradikere	1,57,66,65,27,16,87,14,86,93,91,46,88,13,92
10	Hiriyur	Imangal	palavanahalli	131,132,133,136,137
11	Hiriyur	Imangal	Chikkasiddavvanahal	144,84,143,83,82,86,138,139,143,155,56,48,47,40,41,141,55,56,48,45
12	Hiriyur	Imangal	Yarehalli	65,240,236,235,66,1
13	Hiriyur	Imangala	Yelakurnahalli	21,4,3,5,17,8,9,10,2
14	Holakere	Talya	Kollala	25,13,18,113,152,115,116,112,22,117
15	Holalkere	Talya	Tekalavatti	131,62,60,80,79,84,87,43,50,51,49,57,58,52,54,86

16	Holalkere	Talya	Kanavihalli	13,12,8,17,1,2,3,4,7
17	Chitradurga	Kasaba	Kasavanahalli	1,2,3,4,10,16,11,13,12,40,39,43,60,73,74, 44,23,30,28,43,63,59, ,57
18	Chitradurga	talya	sangenahalli	16,30,33,32,15,31,30,29,34,22,11
19	Chitradurga	Kasaba	Annihalla	20,19,12,14,13,1
20	Chitradurga	Kasaba	Godbahalu	346,329,328,231,230,204,205,201, 182,202,200,181
21	Chitradurga	Kasaba	Pandrahalli	124,56,142,57,58,59,60,16,62,63,64, 72,73,75,94,95,104,105,107,11,10,8
22	Chitradurga	Kasaba	Mahadevanakatte	23,71,29,28,30,40,43,42,41,59
23	Chitradurga	Kasaba	Sondekola	106,107,108,109,92,195,86,80,38,33,34.26,26 ,24,87,90,79,105,110,91,92
24	Chitradurga	Kasaba	Nandipura	27,39,38,34,20,18,17 ,19,32,34,33,
25	Chitradurga	Kasaba	Obenahalli	25,26,27,1,24
26	Chitradurga	Kasaba	Uppanyakanahalli	40,39,45,44,48,7,41,46,47,6,1

ANNEXURE –VI**Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.